यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

CMS NO.-2022/290

मिसल नम्बर– 58 / 2022

1. श्रीमति अनोख बाई पत्नी श्री मोहन लाल जाति माली, उम्र 61 साल निवासी बनास्या पाडा कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

प्रार्थी।

बनाम

1.घनश्याम पुत्र मोहन लाल जाति माली, उम्र 40 वर्ष, निवासी बनास्या पाडा कैथून तह0 लाडपुरा जिला कोटा राज0

2.श्याम पुत्र श्री मोहन लाल जाति माली, उम्र 34 वर्ष निवासी बनास्या पाडा कैथून तह0 लाडपुरा जिला कोटा राज0

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 28/3/25

उपस्थिति:–

1.श्री भुवनेश कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया का एक मकान वाके बनास्या पाडा कैथून जिला कोटा में स्थित है, जो कि प्रार्थिया अपने ससुर श्री रामकरण आत्मज श्री देवलाल से दिनांक 03.09.2008 को जरिये वसीयत प्राप्त हुआ था जिसकी पेमाईश 34 × 42 कुल 1428 वर्गफिट वाके बनास्या पाडा कैथून तह0 लाडपुरा जिला कोटा जिसकी कि चर्तुसीमाए पूर्व में रास्ता आम 8 फिट, पश्चिम में मकान श्री कन्हैया लाल जी माली का, उत्तर में रास्ता आम एवं दक्षिण मे मकान श्री छीतर लाल जी गोस्वामी का स्थित है। जिसमें कि प्रार्थिया अपने परिवार सहित उक्त मकान में वसीयत के पश्चात से ही निवास करती चली आ रही है। प्रतिपक्षीगण प्रार्थिया के पुत्र है, जिनके द्वारा प्रार्थिया के साथ मारपीट कर प्रार्थिया को अपने मकान में शांतिपूर्वक निवास में व्यवधान कारित किया जा रहा है, तथा मकान में तोडफोड, खुदाई शुरू कर दी ताकि प्रार्थिया मकान का उपयोग–उपयोग नही कर सके, उक्त कृत्य प्रतिपक्षीगण द्वारा किया जाने पर प्रार्थिया द्वारा दिनांक 15.05.2022 व दिनांक 18.05.2022 को पुलिस थाना कैथून में शिकायत प्रस्तुत की तथा प्रतिपक्षी गण के कृत्य पर रोक लगाने का निवेदन किया तो माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने बाबत् कहा गया। प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थिया को उसके व उसके पति मोहनलाल के हाथ–पैर तौड़ने व मारपीट करने की धमकी दी गई है। प्रतिपक्षीगण न तो प्रार्थिया को निवास करने दे रहे है, और न ही उसका भरण पोषण कर रहे है, जबकि प्रतिपक्षी क्रम 2 श्याम आर0सी0सी0 की ठेकेदारी करता है, जिससे उसे 40,000 / – रूपये अक्षरे

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

बीस हजार रूपये की मासिक आय प्राप्त होती है, तथा प्रतिपक्षी नं0 1 वाहन चालक है, जिससे उसे 15,000/– रूपये अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये मासिक आय है जिसमें से प्रार्थिया 20,000/– रूपये मासिक प्रतिपक्षीगण से तथा अपने मकान को खुर्द बुर्द करने व खुदाई व निर्माण करने से बचाने की अधिकारणी है, प्रतिपक्षीगण द्वारा आवश्यक सुविधाऐ बिजली व पानी का उपयोग–उपयोग किया जा रहा है, किन्तु उसका भुगतान भी नहीं किया जा रहा है, ताकि प्रार्थिया बिना बिजली व नल के परेशान होकर सम्पत्ति छोड़ दे। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षी गण को पांबद किया जावे कि वह प्रार्थिया के मकान को ध्वस्त नहीं करें, न ही कोई तोड़ फोड़, निर्माण आदि करें प्रार्थिया को शांतिपूर्वक तरीके से निवास करने दे तथा प्रार्थिया को भरण पोषण के रूप में 20,000/– रूपये अक्षरे बीस हजार रूपये प्रत्येक प्रतिपक्षीगण 10–10 हजार रूपये अक्षरे दस–दस हजार रूपये प्रार्थिया को भरण पोषण के रूप में अदा करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी प्रार्थिया के हित में निहित हो वह भी प्रदान फरमायी जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थी की ओर से बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ बदसलूकी, मारपीट करने एवं प्रार्थीया के मकान में तोड फोड, खुदाई एवं निर्माण करने का कथन किया है एवं भरण पोषण हेतु प्रतिमाह 20,000/– मासिक दिलाये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण को तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नही रखा है और ना ही अपने पक्ष में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिस कारण से प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में किये गये कथन अखण्डनीय रहे जिन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण उत्पन्न नही होता है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भरण पोषण अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थिया के मकान को ध्वस्त नहीं करें, न ही कोई तोड़ फोड़, निर्माण आदि करें तथा उनके उक्त मकान में शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। चूंकि प्रार्थीया वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने के कारण प्रार्थीया अपनी सार–सभांल स्वयं करने में असमर्थ हैं। अतः अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि अपनी माता को 2,000/–, 2000/– रूपये मासिक प्रत्येक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों।

उक्त निर्णय आज दिनांक 28/2/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा